	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 02, मंगलवार, शाके 1948- जून 23, 2026 Asadha 02, Tuesday, Saka 1948- June 23, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 12, 2026

संख्या प.12(5)नविवि/जैसलमेर (जैसलमेर)/ 2026-17077:-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर नगरीय क्षेत्र के ग्राम जैसलमेर के खसरा संख्या 791 रकबा 23.7684 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 792 रकबा 22.1828 हैक्टेयर कुल रकबा 45.9512 हैक्टेयर भूमि पर फार्म हाउस स्कीम योजना के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय किया गया है। इस योजना की सीमाऐं निम्नानुसार हैः-

1. उत्तर- खसरा संख्या 793/1169, 1176/793, 765, 766/1721 व 767
2. दक्षिण- खसरा संख्या 800, 801, 807 व 807/959
3. पूर्व- खसरा संख्या 790
4. पश्चिम- खसरा संख्या 794

उपरोक्त योजना के मौके का विवरण और उसका नक्शा नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्यदिवस में 3.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 45.9512 हैक्टर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 06 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।